राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.22(5)न्याय/2018 जयपुर, दिनांकः 31.10.19

:: आज्ञा ::

श्री ब्रह्म कुमार सोनी, सहायक विधि परामर्शी द्वारा संतान संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण इस विभाग के समसंख्यक पदोन्नति आदेश दिनांक 20.08.2019 में इनके पदोन्नति आदेश जारी नहीं किए गए थे। श्री सोनी द्वारा दिनांक 14.10.2019 को संतान संबंधी घोषणा–पत्र विभाग में प्रस्तुत कर दिया गया है।

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियम 28 के अन्तर्गत उप विधि परामर्शी की वर्ष 2019–20 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 09.08.2019 को आयोजित की गई। विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के अनुसार श्री ब्रह्म कुमार सोनी, सहायक विधि परामर्शी का चयन वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर करने के फलस्वरूप इन्हें उप विधि परामर्शी के पद पर वेतन श्रृंखला PB No.-3 (15600-39100) GP No.-19 (7200) L-18 में दिनांक 01.04.2019 से एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। श्री सोनी की वरिष्ठता डॉ. गौरी शंकर भार्गव के नीचे व सुबान खान के ऊपर रहेगी।

श्री सोनी का पदोन्नति पर पदस्थापन निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर में उप विधि परामर्शी के पद पर यथावत रखा जाता है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

31.10.19.

(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी/विभाग।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

31.10.19

(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

D:\VINOD 2015\Procedding_2019-20\DLR - ORDER (Soni).docx